रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2019/माघ 30, 1940
No. 70] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2019/MAGHA 30, 1940

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019

सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/6.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), (ठ), (ढ), (ण) और खंड (त) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत: -

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 है।
2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 में:-

(I) मौजूदा विनियम 2(1) (ज) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या" प्राधिकरण द्वारा विनियमित और प्रशासित योजनाओं के अधीन प्रत्येक अभिदाता के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा आबंटित कोई अद्वितीय संख्या से अभिप्रेत है ;

(II) मौजूदा विनियम 8(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए ऐसे विषयों को ध्यान रखेगा, जो वह स्वयं के द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के अधीन कार्यकलापों से सुसंगत समझे, जो निम्नलिखित के अंतर्गत है किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है, अर्थात् :-

(III) मौजूदा विनियम 8(1) (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

क्या प्रमाणपत्र का दिया जाना पेंशन सेक्टर और प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के क्रमबद्ध विकास के उद्देश्य और अभिदाताओं के हित में है ;

(IV) मौजूदा विनियम 15(2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

न्यासी बोर्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम में और प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के हिताधिकारियों के फायदाप्रद हितों के लिए अपनी ओर से निधियां धारित करने के लिए न्यासी बैंक को प्राधिकृत करेगा । ऐसे प्राधिकार से न्यासी बैंक को, अभिदाताओं की निधि में कोई अधिकार, हक, हित या हिस्सा या प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के अधीन कोई अन्य अधिकार प्रदत्त नहीं होगा ।

(V) मौजूदा विनियम 16(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

न्यासी बैंक, प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के अधीन दिन प्रतिदिन की बैंककारी निधियों को संभालेगा और अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के निबंधनानुसार प्राधिकरण द्वारा ज़ारी निदेशों के उपबंधों, प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ निष्पादित कार्य सेवा स्तरीय करारों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा ज़ारी मानक कार्य प्रक्रिया के अनुसार बैंककारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा ।

(VI) मौजूदा विनियम 16(2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

न्यासी बैंक, अपने कर्तव्यों को क्रियान्वित करने में और प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के अधीन अभिदाताओं, फायदा ग्राहियों के अधिकारों और हितों को संरक्षित करने के लिए सम्यक तत्परता और सतर्कता का प्रयोग करेगा । न्यासी बैंक अपने कर्मचारियों और व्यक्तियों द्वारा जिनकी सेवाएं किसी भी हैसियत में न्यासी बैंक द्वारा उपाप्त की गई हैं, लोप या त्रुटि के लिए उत्तरदायी होगा ।

(VII) मौजूदा विनियम 16(3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

न्यासी बैंक के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खाते, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर होंगे और न्यासी बैंक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की निधियों को धारण करेगा । तथापि, प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के अधीन व्यष्टि अभिदाता इन निधियों के फायदाप्रद स्वामी होंगे ।

(VIII) मौजूदा विनियम 16(7)(क) (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

अन्य कारबारों से उत्फुल्लता (फायरवाल) : न्यासी बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के अधीन कारबारों की बाबत उसके अन्य कारोबार से, कर्मचारीवृंद और प्रणालियों, दोनों से फायरवाल बनाई जाए;

(IX) मौजूदा विनियम 16(8) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

न्यासी बैंक के लिए, आवश्यक पर्यवेक्षण (स्थल पर और स्थल के बाहर) सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए न्यासी बैंक के पास अनुरक्षित न्यास खाते के सम्बन्ध में सभी अभिलेख, डाटा या कोई अन्य सुसंगत सामग्री तक पहुँच सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा । न्यासी बैंक, उसके पास उपलब्ध प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के अधीन निधियों से सम्बंधित सूचना का, नियमित आधार पर पारेषण के लिए और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को अनुदेश देने के लिए उत्तरदायी होगा । न्यासी बैंक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, प्राधिकरण और अन्य ऐसे मध्यवर्तियों को जो प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं,वेब आधारित पहुँच उपलब्ध कराएगा । न्यासी बैंक से, प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विहित भावी परिवर्तन और कार्यात्मक बाध्यताओं को अंगीकार करने की अपेक्षा होगी ।

(X) मौजूदा विनियम 16(9) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

न्यासी बैंक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के अधीन अन्य मध्यवर्तियों के साथ अपेक्षित सेवा स्तरीय करार, जहाँ लागू हो, पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा होगी । न्यासी बैंक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन नियुक्त अन्य मध्यवर्तियों के साथ सम्पूर्ण समन्वय और सहयोग से एक अंतरापृष्ठ और कार्य स्थापित करेगा ।

(XI) मौजूदा विनियम 27(3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

अभ्यर्पण सम्बन्धी अनुरोध स्वीकार करते समय प्राधिकरण न्यासी बैंक पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा वह प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के अभिदाताओं के हित के संरक्षण के लिए उचित समझे और सम्बंधित न्यासी बैंक ऐसी शर्तों का पालन करेगा ।

[वि-III/4/असा./546/(18)]
हेमंत जी.कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 23 मार्च 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/6 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (TRUSTEE BANK) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. PFRDA/12/RGL/139/6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (e), (l), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015 namely:—

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) (First Amendment) Regulations, 2019.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015

(I). Existing regulation 2(1) (h) will be substituted as below-

"Permanent Retirement Account Number" means a unique number allotted by the central recordkeeping agency to each subscriber under the schemes regulated or administered by the Authority;

(II). Existing regulation 8(1) will be substituted as below-

For the purpose of grant of certificate, the Authority shall take into account all matters which it deems relevant to the activities under the schemes regulated or administered by it, including but not limited to the following, namely:-

(III). Existing regulation 8(1)(b) will be substituted as below-

whether the grant of certificate is in the interest of subscribers and the objective of orderly development of pension sector and the schemes regulated or administered by the Authority.;

(IV). Existing regulation 15(2) will be substituted as below-

The Board of Trustees shall authorize the Trustee Bank to hold on its behalf the funds in the name of National Pension System Trust and for the beneficial interests of the beneficiaries of the schemes regulated or administered by the Authority. No such authorization shall confer upon the Trustee Bank, any right, title, interest or share in the funds of the subscribers or any other right under the schemes regulated or administered by the Authority.

(V). Existing regulation 16(1) will be substituted as below-

The Trustee Bank shall assume the day to day banking of the funds under the schemes regulated or administered by the Authority and shall provide banking facilities in accordance with the provisions of the directions issued by the Authority in terms of the Act, the rules and the regulations made there under, operational service level agreements executed with the National Pension System Trust and standard operating procedure issued by the National Pension System Trust, based on the Authority's guidelines.

(VI). Existing regulation 16(2) will be substituted as below-

The Trustee Bank shall exercise all due diligence and vigilance in carrying out its duties and in protecting the rights and interests of the subscribers, the beneficiaries of the schemes under the schemes regulated or administered by the Authority. The Trustee Bank shall be responsible for the acts of omissions or commissions by its employees or the persons whose services have been procured by the Trustee Bank in whatever capacity.

(VII). Existing regulation 16(3) will be substituted as below-

The account of the National Pension System Trust with the Trustee Bank shall be in the name of National Pension System Trust and the Trustee Bank shall be holding the funds of the National Pension System Trust. However, individual subscribers under the schemes regulated or administered by the Authority shall remain beneficial owners of these funds.

(VIII). Existing regulation 16(7)(a) (ii) will be substituted as below-

Firewall from other businesses: Trustee Bank shall ensure that a firewall is maintained in respect of the business under the schemes regulated or administered by the Authority, both in terms of staff and systems, from its other businesses;

(IX). Existing regulation 16(8) will be substituted as below-

The Trustee Bank shall be required to ensure access to all records, data or any other relevant material in respect of the Trust Account maintained with the Trustee Bank to the National Pension System Trust for ensuring necessary

IndiaCode

supervision (both on-site and off-site). The Trustee Bank shall be responsible for transmission of information pertaining to the funds under the schemes regulated or administered by the Authority available with it and instructions to central recordkeeping agency on a regular basis. The Trustee Bank shall provide web based access to the National Pension System Trust, the Authority and other intermediaries as may be specified by the Authority or the National Pension System Trust. The Trustee Bank will be required to be able to adapt to future changes and functional obligations prescribed by the Authority or the National Pension System Trust.

(X). Existing regulation 16(9) will be substituted as below-

The Trustee Bank shall sign the required Service Level Agreement, where applicable, with the National Pension System Trust and other intermediaries under the schemes regulated or administered by the Authority. The Trustee Bank shall establish an interface and work in total co-operation and co-ordination with the other intermediaries appointed under the National Pension System.

(XI). Existing regulation 27(3) will be substituted as below-

While accepting the surrender request, the Authority may impose such conditions upon the Trustee Bank as it deems fit for the protection of interest of the subscribers of the schemes regulated or administered by the Authority and the Trustee Bank concerned shall comply with such conditions.

[ADVT-III/4/Exty./546/18]

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

Footnote:

1. The Principal Regulations ,The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 23rd March, 2015 vide No. PFRDA/12/RGL/6.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.20 22:08:52 +05'30'